प्रेस विज्ञप्ति

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

04 अगस्त **2017**

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संख्या 18

"भारतीय खाद्य निगम" आज संसद में प्रस्तुत

प्रतिवेदन के विषय में

भारतीय खाद्य निगम पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (18 of 2017) को आज संसद में रखा गया। मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए इस प्रतिवेदन में लेखापरीक्षा में शामिल तीन क्षेत्र जैसे ऋण प्रबंधन, श्रमिक प्रबंधन एवं प्रोत्साहन भुगतान तथा पंजाब में निजी उद्यमी गारंटी स्कीम के कार्यान्वयन के परिणाम शामिल हैं। इन क्षेत्रों का चयन भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) में उच्च लागत कार्यरत पूंजी; क्रमश: विभागीय श्रमिक की उच्च हैंडलिंग लागत तथा निजी भागीदारी के माध्यम से भंडारण क्षमता का वृद्धि में विलंब की वजह से किया गया था। यह प्रतिवेदन अन्य लेखा परीक्षा निष्कर्षो को भी शामिल करता है।

लेखापरीक्षा निष्कर्षः

(अ) ऋण प्रबंधन

- एफसीआई द्वारा प्रत्येक वर्ष लिया गया अनुदान भारत सरकार से किए गए दावे से कम था, पिछले पाँच वर्षो में औसतन केवल 67 *प्रतिशत* ही अनुदान के दावे को भारत सरकार द्वारा जारी किया गया जिसकी वजह से वित्त के अन्य महंगे साधनों यथा नकदी ऋण (सीसी), लघु अवधि ऋण आदि से एफसीआई को उधार लेना पड़ा था जिसका परिणाम वर्ष 2011-16 के दौरान ₹ 35,701.81 करोड़ के भारी ब्याज के रूप में हुआ।

(पैराग्राफ सं. 2.3)

- विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों से ₹ 2,897.17 करोड़ की राशि बकाया थी।

(पैराग्राफ सं. 2.4)

- प्रत्येक दो तिमाही के बाद दक्षता विश्लेषण करने के लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के निर्देशों का अनुपालन करने में भी एफसीआई विफल रहा। भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदान पर एफसीआई द्वारा उपयोग किए गए मासिक नकदी ऋण का कोई विश्लेषणात्मक अध्ययन नहीं किया गया।

(पैराग्राफ सं. 2.9)

- एफसीआई की जोखिम प्रबंधन नीति भी निगम की जटील वित्तीय जरूरतों को पर्याप्त रूप से पूरी नहीं कर पाई।

(पैराग्राफ सं. 2.10)

सिफारिशें:

(i) वित्त मंत्रालय एफ़सीआई को दिए जाने वाले खाद्य अनुदान घटक के लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग को पूर्ण आवंटन समय पर कर सकता है।

(ii) नकद ऋण सीमा खत्म करने से पहले लघु अवधि ऋण का उपयोग करने के लिए उसे अनुमति देने हेतु एफ़सीआई उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के माध्यम से संघ समूह से संपर्क कर सकता है।

(iii) सस्ते वित्त स्त्रोत प्राप्त करने के लिए बाँड जारी करने हेतु गारंटी हासिल करने के लिए एफ़सीआई पुनः उपभोक्ता मामलें, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संपर्क कर सकता है।

(ब) श्रम प्रबंधन तथा प्रोत्साहन राशि

- अधिशेष विभागीय श्रमिको के गैर-तर्कसंगतता, डिपो में महंगे श्रमिकों की तैनाती तथा विभागीय श्रमिको के गैर-पूलिगं के परिणाम स्वरुप ₹ 237.65 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(पैराग्राफ सं. 3.2.1 से 3.2.3)

- *अभिलेखों के अनुसार विभिन्न डिपो पर श्रमिक प्रतिदिन 105 बैग की तुलना में 998 से लेकर 1776 बैग प्रतिदिन चढ़ाई उतराई करते पाये गये। यह डिपो में परोक्षी श्रम की मौजूदगी का संकेत था जिससे कुछ श्रमिकों को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा रहा था, यह एक ऐसी समस्या है जिससे निपटने में एफसीआई सक्षम नहीं हुआ।*

  (पैराग्राफ सं. 3.2.4)

- लागू कानूनों जैसे कि ग्रेच्यूटी अधिनियम, 1972 अंशदायी भविष्य निधि, उत्पादन संबंद्ध प्रोत्साहन तथा इस मुद्दे पर माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उल्लंघन कर ₹ 435.18 करोड़ तक का अस्वीकार्य भुगतान किया गया।

  (पैराग्राफ सं. 3.3.1 से 3.3.4 एवं 3.3.6)

- असंभाव्य ढ़ेर गठन के माध्यम से संदिग्ध अतिरिक्त भुगतान (₹ 12.12 करोड़), एक गतिविधि (मानकीकरण कार्य) को दो या तीन विभिन्न गतिविधियों के रुप में (पुनर्भरण/पुनः बैग भरना तथा तोलना/ढ़ेर लगाना), भराई कार्य का जरूरत से ज्यादा प्रमाणन, लीड दूरी का गलत प्रमाणन आदि का भी पता लगा।

  (पैराग्राफ सं. 3.4.1 से 3.4.4)

- डिपो में बुकिंग सह-आउटपुट पर्ची के रख रखाव में अपूर्ण नियंत्रण भी देखा गया जिसने अनियमित कार्यप्रणाली के जोखिम को बढ़ा दिया।

  (पैराग्राफ सं. 3.5.1 से 3.5.5)

सिफारिशें:

(i) कम एफ़एसडी में विभागीय श्रमिकों का संयोजन तथा संविदा श्रमिकों के माध्यम से खाली एफ़एसडी का हैंडलिंग संचालन करना।

(ii) प्रोत्साहन राशि व अन्य वैधानिक बकायों जैसे सीपीएफ़, ग्रेच्युटी की गणना करने के लिये अपनाए गए प्रोत्साहन मानदंड तथा पद्धति मौजूदा अधिनियमों/नियमों और न्यायिक निर्देशों/निर्णयों के अनुरूप होने चाहिए।

(iii) परोक्षी श्रमिकों के उन्मूलन के लिए कार्यवाही:

अ) बुकिंग सह आउटपुट पर्ची में निर्धारित विवरण का उचित प्रलेखीकरण सुनिश्चित करके।

ब) बॉयोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली और सीसीटीवी के स्थापना में तेजी लाकर।

स) प्रोत्साहन राशि और ओटीए के प्रति असामान्य रूप से संदिग्ध उच्च दावों के लिये वित्तीय लेखांकन पैकेज में स्वचालित रेड फ्लैग संकेतक को शामिल करके।

(स) पंजाब में गोदामों के निर्माण हेतु निजी उद्यमी गारंटी स्कीम का कार्यान्वयन

- ***निजी उद्यमियों को गोदामों के निर्माण हेतु संविदा देने में हुई देरी से*** XI ***योजना (2007-12) में स्कीम का नगण्य कार्यान्वयन हुआ।***

(पैराग्राफ सं. 4.2.1)

- *पर्याप्त मात्रा में खाद्यान राज्य सरकार की एजेंसियों/एसजीए के पास खुले क्षेत्रों में पड़ा हुआ था और इस प्रकार ₹ 700.30 करोड़ मूल्य का 4.72 लाख मीट्रिक टन गेहूँ खराब हो गया तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को जारी नहीं किए जाने योग्य घोषित कर दिया गया। इसके अलावा, काफी मात्रा में गेहूँ कवर्ड एंड चबूतरा (सीएपी)/कच्चा चबूतरा में असुरक्षित पड़े रहने के बावजूद एफसीआई द्वारा सितंबर 2012 से मार्च 2016 की अवधि के दौरान दो जिलों में छह एलएमटी क्षमता को भाड़े से हटा दिया गया।*

(पैराग्राफ सं. 4.2.2)

- **चूंकि गोदामों के निर्माण के लिए अयोग्य बोलीदाताओं को संविदा प्रदान कर दिया गया, जिससे वर्ष 2012-13 से 2015-16 की अवधि के दौरान** ₹ *21.04* **करोड़ का अनुचित लाभ निजी उद्यमियों को दिया गया।**

(पैराग्राफ सं. 4.3.1)

- रेलवे सिडिंग के बिना गोदामों को लिए जाने की वजह से वर्ष 2012-13 से 2015-16 की अवधि के दौरान ₹ 9.77 करोड़ का हैंडलिंग खर्च आया।

(पैराग्राफ सं. 4.3.2)

- पंजाब खाद्यान अधिप्राप्ति निगम लि. (PUNGRAIN) द्वारा दूरी की गलत माप और जरूरत से ज्यादा दूरी के फलस्वरूप एफसीआई को खाद्यान के परिवहन पर ₹ 8.36 करोड़ का अधिक व्यय हुआ।

(पैराग्राफ सं. 4.3.3)

सिफारिशें:

(i) प्रावधानों, विशेषकर गोदाम के भूखंड आकार और रेलहेड से दूरी संबंधित, का पालन करते हुए शेष भंडारण क्षमता का शीघ्रता से अधिग्रहण किया जा सकता है।

(ii) एफ़सीआई को यह सुनिश्चित करने के लिए उचित नियन्त्रण बनाए रखना चाहिए कि सभी वैधानिक करों/ बकायों का भुगतान निजी उद्यमियों द्वारा उन सेवाओं के लिए भुगतान जारी किए जाने से पहले किया गया है, उचित नियंत्रण लागू करना चाहिए।

(iii) सीएपी/ओपन और कच्चा प्लिंथ में पड़े स्टॉक स्थिति पर आधारित वास्तविक मूल्यांकन करने के लिए भंडारण आवश्यकता की समय-समय पर समीक्षा किए जाने की जरूरत है।

(iv) एफ़सीआई को इस योजना के अंतर्गत की गई अत्यधिक भुगतान की वसूली पनग्रेन/ निजी उद्यमियों से करनी चाहिए।

(द) अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ:

i. **लेखापरीक्षा के बताने पर वर्ष 2015-16 के दौरान अतिरिक्त/अनियमित भुगतान आदि से संबंधित ₹ 32.18 करोड़ तक की वसूली की गई।**

ii. **हैडलिंग कॉन्ट्रैक्टर्स को भुगतान से संबंधित स्थायी निर्देशों/नियमावली के प्रावधानों का पालन न करने की वजह से 2014-15 तक काल्पनिक कार्य हेतु हैंडलिंग कॉन्ट्रैक्टर्स को ₹ 23.02 करोड़ का अनुचित भुगतान किया गया था। बाद में प्रतिनियुक्ति आंतरिक लेखापरीक्षा और सतर्कता टीमों ने उसी कॉन्ट्रैक्टर को कुल ₹ 71.75 करोड़ का फर्जी भुगतान तथा इन फर्जी भुगतानों पर ₹ 13.39 करोड़ के ब्याज की हानि की सूचना दी।**

(पैराग्राफ सं. 5.1)

iii. उच्च दर पर भुगतान की वजह से तथा खाद्यान के परिवहन हेतु वास्तविक दूरी की जगह लंबी दूरी के बिल के लिए परिवहन कॉन्ट्रैक्टर को ₹ **14.73 लाख तथा ₹ 37.89 लाख का अतिरिक्त फर्जी भुगतान किया गया।**

(पैराग्राफ सं. 5.2)

iv. **खरीफ विपणन मौसम (केएमएस) वर्ष 2014-15 के दौरान धान की अधिप्राप्ति तथा चावल**

की आपूर्ति हेतु बोरी की लागत तथा बोरी के अवमूल्यन की वजह से उत्तर प्रदेश सरकार और इसकी एजेंसी को ₹ 24.96 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया गया। *एफसीआई* की लेखा परीक्षा के बाद ₹ 2.96 करोड़ की वसूली की तथा शेष ₹ 22.00 करोड़ की वसूली अभी भी की जानी है।

(पैराग्राफ सं. 5.3)

v. **एफसीआई ने वर्ष 2013-14 के दौरान खुला बाजार विक्रय योजना के अंतर्गत लागत से कम दर पर गेहूँ थोक उपभोक्ताओं को बेच दिया जिससे ₹ 38.99 करोड़ तक की गैर-वसूली हुई।**

(पैराग्राफ सं. 5.4)

vi. ***एफसीआई*** **द्वारा कर प्रलेखों के अनुचित संग्रह/रख रखाव के कारण आउटपुट मूल्य वर्धित कर का भुगतान करते समय इनपुट मूल्य वर्धित कर को समायोजित नहीं कर सका और उत्तर प्रदेश में आउटपुट मूल्य वर्धित कर की वजह से ₹ 25.01 करोड़ का परिहार्य भुगतान किया।**

(पैराग्राफ सं. 5.5)